न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,मसूदा जिला–अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या–42 सन् 2016

श्री काना पुत्र श्री छीतर जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम सथाना तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री छीतर जाति कुम्हार निवासी ग्राम सथाना तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील परिसर, बिजयनगर (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांकः–12.11.2016

इस प्रा0 पत्र मे प्रार्थी ने साराशंत निवेदन किया है कि मौजा भगवानपुरा पटवार क्षेत्र सथाना तह0 बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0न0 775 रक्बा 2–17–00 बीघा व 776 रक्बा 1–13–00 बीघा उसकी खुद काश्त से खातेदारी की भूमिया है जिनमे अप्रार्थी स0 1 लक्ष्मण जबरन प्रवेश कर अतिक्रमण करना चाहता है। इनकी सीमा समझाईश भी दिनांक 30.05.2016 को करवाई गई लेकिन अप्रार्थी सतुंष्ट नही हुआ अतः विधिक रूप से टीम बनाकर जरिये माप एंव सीमांकन पत्थर गढ़ी करवाने के आदेश प्रदान करावे। नियमानुसार टीम खर्च प्रार्थी वहन करने को तत्पर है।
अप्रार्थी लक्ष्मण ने स्वंय उपस्थित होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी की जाति है तो उसे कोई आपत्ति नही है। वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी प्रश्नगत भूमि में खातेदार है अतः वह पत्थर गढी करवाने का अधिकारी पाया जाता है ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, बिजयनगर को रू. 2000/– कोस्ट पर मौका कमिशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वह अपनी अधिनस्थता में एक पत्थर गढी कराने हेतु टीम गठित कर अन्दर मयाद 15 दिवस प्रार्थी की प्रश्नगत भूमियों की नियमानुसार पत्थर गढी करवा कर रिपोर्ट अदालत हाजा में प्रस्तुत करावें ।

आदेश आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.19 16:35:26 IST
Reason: SelfAttested